संख्या-26/2026/388/2026/12-5099/54/2025/1932759

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उद्यान, सिंचाई एवं जल संसाधन, कृषि, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य तथा लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 15 अप्रैल, 2026**

विषयः- फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) को विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए अनिवार्य किया जाना।

महोदया / महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-25/2026/51/2026/12-5099/54/2025/1932759 दिनांक 08 अप्रैल, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) को अनिवार्य करते हुए दिनांक 31 मई, 2026 से अनुपालन हेतु तैयारी पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत फार्मर आई०डी० (किसान पहचान पत्र) को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली समस्त खरीद में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य किया गया है।

2. चकबन्दी तथा सर्वे अधीन ग्रामों में चकबन्दी/ सर्वे प्रक्रिया प्रचलित होने के कारण किसानों की फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) अद्यतन नहीं बन सकी हैं, जिससे किसानों के कृषि उत्पादों का सरकारी क्रय केन्द्रों पर खरीद किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3. उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि जिन ग्रामों में चकबन्दी एवं सर्वे की प्रक्रिया प्रचलित है, उन ग्रामों के कृषकों को सम्बन्धित ग्राम में स्थित भूमि की सीमा तक कृषि उत्पाद कृषि/ खाद्य विभाग द्वारा पूर्व प्रक्रिया के आधार पर बिक्री का अवसर प्रदान किए जाने की छूट प्रदान की जाती है।

भवदीय,
एस०पी० गोयल
मुख्य सचिव।

संख्या-26/2026/388/2026/12-5099/54/2025/1932759 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, कृषि, उद्यान, सिंचाई, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।